झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–524 वर्ष 2017

के साथ

आई0ए0 संख्या–5278 वर्ष 2017

कालाचंद दुबे, पे0–स्वर्गीय रामनारायण दुबे, निवासी ग्राम–तेलीडीह, डाकघर–चोरा वाया चास, थाना–चास, जिला–बोकारो .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखंड राज्य

2.. अंचल अधिकारी, चास, बोकारो

3. सुचंद महतो, पे0–स्वर्गीय भीम महतो, निवासी ग्राम–तेलीडीह, डाकघर–चास, थाना–चास, जिला–बोकारो .... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन**

याचिकाकर्त्ता(ओं) के लिए :– श्री यदुनंदन मिश्रा, अधिवक्ता

प्रतिवादी(ओं) के लिए :– श्री के0 पांडा, जी0ए0 का जे0सी0

04 / 31.07.2018 इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने सर्किल अधिकारी, चास, बोकारो द्वारा जारी किया गया नोटिस (इस याचिका का अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है, जो प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा किए गए एक आवेदन के आधार पर जारी किया गया था, जिसके द्वारा, याचिकाकर्ता को सूचित किया गया है कि थाना संख्या 34, खाता संख्या 43, प्लॉट संख्या 1243, 1244, 1246 और 1247, मौजा–तेलीडीह की भूमि मापा जाएगा। उक्त

नोटिस में आगे यह उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और यदि याचिकाकर्ता को उसी पर कोई कानूनी दावा मिला है, तो उसे उन सभी दस्तावेजों को पेश करना चाहिए जो उसके पक्ष में हैं।

पक्षों को सुनने के बाद, मुझे लगता है कि याचिकाकर्ता ने केवल नोटिस को चुनौती दी है। इस न्यायालय की राय में, उक्त नोटिस जारी करने में कोई क्षेत्राधिकार त्रुटि नहीं है क्योंकि सर्किल अधिकारी, चास, बोकारो ने केवल याचिकाकर्ता को सूचित किया है कि विचाराधीन उक्त भूमि का माप किया जाएगा, और याचिकाकर्ता को सर्किल अधिकारी, चास, बोकारो के समक्ष सभी प्रासंगिक दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया गया था।

चूंकि, सर्किल अधिकारी ने याचिकाकर्ता को केवल भूमि की माप के लिए सूचित किया है, मुझे लगता है कि याचिकाकर्ता को अपने खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई की आशंका नहीं करने चाहिए। याचिकाकर्ता सीमांकन प्रक्रिया में सहयोग करेगा।

हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि सर्किल अधिकारी केवल विचाराधीन भूमि का माप और सीमांकन करेगा और एक रिपोर्ट तैयार करेगा। वह पार्टियों के अधिकार, टाइटल और हित को तय करने का अधिकारी नहीं है।

उपरोक्त अवलोकन और निर्देश के साथ, इस रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

इस रिट याचिका में पारित आदेश की प्रकृति के मद्देनजर, मैं इस अंतर्वर्ती आवेदन की अनुमति देने के लिए इच्छुक नहीं हूँ। तद्नुसार, उसको खारिज किया जाता है।

(आनंदा सेन, न्याया0)